कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
जिला–कोंडागांव (छ.ग.)

/ Fax. 07786-242303 E-mail southfedkgn@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि./1136 कोंडागांव, दिनांक 16.6.2025.

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

विषयः– *Diversion of Forest land non-Forest Purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for Diversion Land For OFC Bharat Sanchar Nigam Limited South Kondagaon Division Provide high speed Connectivity in LWE and will help in implementing the central govt. scheme under digital India program in Chhattisgarh area 2.181 ha. regarding.*
–आनलाईन पंजीयन क्रमांक–FP/CG/OFC/44214/2020..

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्र/वन (सं.एवं सं.) अ) अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–859/1032, दिनांक 23/04/2025 एवं आपका पृ. क्रमांक/त.अ./3917, दिनांक 06/06/2025.

निवेदन है, कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत ***OFC Bharat Sanchar Nigam Limited*** भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 2.181 हेक्टेयर के वन भूमि गैर वानिकी कार्य के उपयोग के लिये छ. ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/F-5-23/2023/10-2, दिनांक 05/12/2023 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी किया गया है।

शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तो के बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन उपमंडल अभियंता, कोरनेटवर्क, ट्रांसमिशन प.परियोजना रायपुर का पत्र क्रमांक/DE/TP/RP/PERMISSION/2025-26/103, दिनांक 06.06.2025 द्वारा बिन्दुवार प्राप्त कर पृथक – पृथक 05 प्रतियों में इस ज्ञापन के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेपित है, विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमां	अधिरोपित शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
2	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
3	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
4	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.45 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाइन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सडक का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वनक्षेत्र के फलोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
5	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जायेगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
6	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यप्राणी अभ्यारण के बाहर सडक के किनारे तथा मौजूदा सडक की चौडाई के अंतर्गत ही बिछाई जायेगी।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
7	आवेदक संस्थान, उपयोग पभचात उपयोग किये गये भूमि का उपयोग / रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनवद्ध रहेगा।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
8	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन / पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनवद्ध रहेगा अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।

9	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
11	वन भूमि के हस्तातंरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियम विनियमों एवं दिशा–निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जायेगा।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारिख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे।	यह शर्त मान्य है।
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora and fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण / विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।

छत्तीसगढ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 5–23/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20/03/2024 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संबंधी अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

1	As per Consolidated Guidelines and Clarification 2023 issued by MoEF&CC's Order dt. 29.12.2023 compensatory afforestation over degraded forest land double in extent to the forest land being shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency.	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।
2	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on CA land shall be deposited through online e-portal into the CAMPA account in advance with the Forest Department by the project authority.	आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 5102144/– रू. CAMPA खाता में दिनांक 30.05.2025 को जमा कर दिया गया है। **जमा राशि की सत्यापित पावति की मूल प्रति संलग्न है।** वित्तिय वर्ष 2025–26 के प्रचलित नवीन दर अनुसार अंतर की शेष राशि 5,10,214/–रूपयें कॉम्पा खाता में शीघ्र जमा करने का वचन पत्र दिया गया है।
3	The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में जारी अधिरोपित शर्तो की पूर्ति उपमंडल अभियंता, कोरनेटवर्क, ट्रांसमिशन प. परियोजना रायपुर द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

कृपया प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा प्रेषित पालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए पालन प्रतिवेदन इस ज्ञापन के साथ संलग्न है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने का सादर अनुरोध है।

<u>संलग्न :</u> उपरोक्तानुसार।

(पालन प्रतिवेदन 05 प्रतियों में)

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

क्रमशः...2...

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 1137 कोंडागांव, दिनांक 16-6-2025

प्रतिलिपि :

01. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़** की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ के सूचनार्थ सादर संप्रेषित है।

02. **कलेक्टर, जिला–कोंडागांव (छत्तीसगढ़)** की ओर इस कार्यालय के पृ. क्रमांक/मा.चि./2481, दिनांक 07/05/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

03. **उपमंडल अभियंता, कोरनेटवर्क, ट्रांसमिशन प.परियोजना रायपुर** की ओर उनके पत्र क्रमांक/DE/TP/ RP/PERMISSION/2025-26/103, दिनांक 06.06.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वित्तिय वर्ष 2025–26 के प्रचलित दर अनुसार अन्तर की राशि रु. 5,10,214/– शीघ्र विधिवत कैम्पा खाता में जमा करें।

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
जिला–कोंडागांव (छ.ग.)

Tel. / Fax: 07786-242303
E-mail: southfedkgn@yahoo.co.

क्रमांक/मा.चि./.2480...
कोंडागांव, दिनांक .07/05/2025

प्रति,

मण्डल अभियंता,

कोरनेटवर्क ट्रान्समिशन प. परियोजना

(Bharat Sanchar Naigam Limited "A Government Of India Enterprises"
Office of the Divisional Engineer CNTX West Project,
c-18, BSNL Colony Khamardih) रायपुर छ.ग.

विषय:– *Diversion of Forest land non-Forest Purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for Diversion Land For OFC Bharat Sanchar Nigam Limited South Kondagaon Division Provide high speed Connectivity in LWE and will help in implementing the central govt. scheme under digital India program in Chhattisgarh area 2.181 ha. regarding.*
–आनलाईन पंजीयन क्रमांक–FP/CG/OFC/44214/2020.

संदर्भ:–
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ–5–23/10–2, दिनांक 05/12/2023.
2. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./4178, दिनांक 08/08/2024 पृ.क्रमांक/1421, दिनांक 20/08/2024 तथा पत्र क्रमांक/5120, दिनांक 18/09/2024 एवं 2152, दिनांक 12/12/2024.एवं आपका पत्र क्रमांक/DE/TP/RP/Forest Permission/2024-25, दिनांक 03-09-2024 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./747, दिनांक 03/02/2025.

संदर्भित पत्र क्रमांक–1 द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 2.181 हेक्टेयर के वन भूमि गैर वानिकी कार्य के उपयोग के लिये शासन द्वारा अधिरोपित शर्तो के साथ प्रथम चरण स्वीकृति जारी किया गया है।

प्रकरण में भारत सरकार के नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 01/12/2023 में दिये गये निहित प्रावधान का पालन करते हुये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु स्वीकृति रकबा 2.181 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्य के उपयोग हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले में दुगुने रकबा 4.362 हेक्टेयर क्षेत्र के वित्तिय वर्ष 2024-2025 के प्रचलित दर अनुसार 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (ईको रेस्टोरेशन सहित) राशि 51,02,144/- (रू. इन्कावन लाख दो हजार एक सौ चौवालिस) मात्र को भारत सरकार के वेब साईट पर ई–चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में भुगतान आनलाईन कर जमा राशि की सत्यापित पावती की मूलप्रति प्रेषित करने हेतु लेख किया गया था। जो आज तक अप्राप्त है। **तद्संबंध लेख किया जाता है, कि प्रकरण में वर्ष 2024-2025 के लिये प्रचलित सिंचित दर अनुसार अंतर की शेष राशि 51,02,144/- (रू. इन्कावन लाख दो हजार एक सौ चौवालिस) मात्र को भारत सरकार के वेब साईट पर ई–चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में समय पर आपके द्वारा जमा नहीं करने के कारण प्र.मु.व.सं.(भू–प्र./वन(सं. एवं सं.)अ) भू–प्रबंध/विविध/115–25/924, दिनांक 07/04/2025 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वित्तिय वर्ष 2025-2026 के लिये 10 वर्षीय वार्षिक वृद्धि करते हुये 12,86,648/- प्रति हेक्टेयर 2.181 के आधार पर दुगुने क्षेत्र 4.362 X 12,86,648 = 56,12,358/- (रू. छपपन लाख बारह हजार तीन सौ अन्ठावन) मात्र को भारत सरकार के वेब साईट पर ई–चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में तत्काल जमा कर जमा राशि के सत्यापित पावती की मूलप्रति 06-06 प्रतियों के साथ शासन द्वारा जाारी अतिरिक्त शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पृथक–पृथक तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही किया जा सकें।**

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल,कोंडागांव

पृ.क्रमांक/मा.चि./2481
प्रतिलिपि :

कोंडागांव, दिनांक 07/05/2025

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़** की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./748, दिनांक 03/02/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर संप्रेषित है।
2. **मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर** की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./748, दिनांक 03/02/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।
3. **कलेक्टर, जिला–कोंडागांव (छत्तीसगढ़)** की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./748, दिनांक 03/02/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. **उपवनमंडलाधिकारी, पश्चिम/पश्चिम कोंडागांव उपवनमंडल** की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि. /748, दिनांक 03/02/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
5. **सममस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी, (मर्दापाल परिक्षेत्र को छोड़कर) कोंडागांव वनमंडल कोंडागांव** की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./748, दिनांक 03/02/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

Tel. / Fax: 07786-242303

जिला–कोंडागांव (छ.ग.)

E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि./4178

कोंडागांव, दिनांक 8-8-24

प्रति,

आवेदनकर्ता,
उपमंडल अभियंता,
दूरसंचार परियोजना
(C-18, BSNL COLONY HAMARDIH) रायपुर छत्तीसगढ

विषयः– *Diversion of Forest land non-Forest Purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for Diversion Land For OFC Bharat Sanchar Nigam Limited South Kondagaon Division Provide high speed Connectivity in LWE and will help in implementing the central govt. scheme under digital India program in Chhattisgarh area 2.181 ha. regarding.*
–आनलाईन पंजीयन क्रमांक–FP/CG/OFC/44214/2020.

संदर्भः–
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ–5–23/10–2, दिनांक 05/12/2023.
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ–5–23/10–2, दिनांक 20/03/2023 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध –ए/115–859/1032, दिनांक 23/04/2024 एवं इस कार्यालय के पृ. क्रमांक/मा.चि./1902, दिनांक 02/05/2024, 2498, दिनांक 28/05/2024, 3115, दिनांक 19/06/2024, 3387, दिनांक 02/07/2024 3759, दिनांक 22/07/2024.

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 2.181 हेक्टेयर के वन भूमि गैर वानिकी कार्य के उपयोग के लिये शासन द्वारा अधिरोपित शर्तो के साथ प्रथम चरण स्वीकृति प्रकरण में भारत सरकार से जारी नवीन दिशा–निर्देश के तहत् छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर अतिरिक्त जानकारी के साथ वैकल्पिक योजना सहित संशोधित पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश होने के कारण वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के दिशा निर्देशिका पुस्तिका अनुरूप प्रकरण में राज्य शासन स्तर से जारी सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति में **क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना** संबंधी निम्न बिन्दुओं के आधार पर आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 566 में से रकबा 4.362 हेक्टेयर का परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। बिन्दुओं का विवरण निम्नानुसार है :–

1- As per Consolidated Guidelines and Clarification 2023 issued by MoEF & CC's Order dt. 29.12.2023 compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency .
2- The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey , demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited through online e - portal into the CAMPA account in advance with the Forest Department by the project authority .
3- The CA will be maintained for 10 years . The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years ;

क्रमश :..2...

Scanned with ACE Scanner

उपरोक्त बिन्दुओं में चाही गई अतिरिक्त जानकारी को पालन प्रतिवेदन में समाहित करने हेतु भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 2.181 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्य के उपयोग हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले में कोंडागांव परिक्षेत्र के वनउसरी में स्थित आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 566 में से रकबा 4.362 हेक्टेयर क्षेत्र का 10 वर्षीय सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन अनुसार **वित्तिय वर्ष 2024–2025 के प्रचलित दर अनुसार 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (ईको रेस्टोरेशन सहित) राशि 51,02,144/- (रू. इन्कावन लाख दो हजार एक सौ चौवालिस) मात्र को भारत सरकार के वेब साईट पर ई–चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में भुगतान आनलाईन कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर कैम्पा खाता में जमा राशि की सत्यापित पावती की मूल प्रति 06 प्रतियों में इस कार्यालय में जमा करें, ताकि शासन के निर्देशानुसार अतिरेक्त जानकारी को पालन प्रतिवेदन में समाहित करते हुये मय संशोधित पालन प्रतिवेदन सहित परियोजना प्रतिवेदन के साथ वरिष्ट कार्यालय को भेजा जा सकें।**

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल,कोंडागांव

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4179 **कोंडागांव, दिनांक :** 8-8-24

प्रतिलिपि :

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।
2. **मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।
3. **कलेक्टर, जिला–कोंडागांव (छत्तीसगढ़)** की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
4. **उपवनमंडलाधिकारी, पश्चिम कोंडागांव उपवनमंडल** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
5. **वन परिक्षेत्र अधिकारी, कोंडागांव परिक्षेत्र** की ओर उनके पत्र क्रमांक/के.जी./1011, दिनांक 23/07/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

Scanned with ACE Scanner

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
Office of the Divisional Engineer CNTX West Project
C-18, BSNL Colony, Khamardih, Raipur (C.G)
☎ - (0771) 2583518, 2583519.

****

DE/TP/RP/Forest Permission/2025-26/105 **Dated, at the Raipur 18.06.2025**

****

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.)
अरण्य भवन नया रायपुर (छ.ग.)

विषयः- Diversion of Forest Non-Forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for diversion land for OFC Bharat Sanchar Nigam Limited South Kondagaon Division provide high speed connectivity in LWE and will help in implementing the central Govt. Scheme under digital India program in Chhattisgarh area 2.181 Ha. - Regarding

संदर्भः- 1. ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/44214/2020
2. क्रमांक/मा.चि/4178 कोंडागांव दिनांक 08.08.2024
3. पत्र क्रमांक/मा.चि/2480 कोंडागांव दिनांक 07.05.2025
4. पत्र क्रमांक/मा.चि/1136 कोंडागांव दिनांक 16.06.2025

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के अनुसार 2.181 हेक्टेयर वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना राशि रू. 5102144/- (रू. इक्यावन लाख दो हजार एक सौ चवालिस) मात्र का मांग पत्र प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के मांग पत्र अनुसार, प्राप्त मांगपत्र राशि की प्रकिया पूर्ण कर दी गई है। और तद्नुसार रू. 5102144/- मात्र राशि ई- चालान के माध्यम से CAMPA खाता में दिनांक 30.05.2025 को जमा कर दी गई है।

संदर्भ कमांक 3 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10% वर्षिक वृद्धि करते हुए संशोधित राशि रू. 5612358/- मात्र का नया मांग पत्र प्राप्त हुआ।

पत्र संदर्भ कमांक 4 के अनुसार हमें वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रचलित दर अनुसार अंतर की राशि रू. 510214/- शीघ्र विधिवत CAMPA खाता में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निवेदन है कि अंतर की राशि रू. 510214/- मात्र का ई- चालान प्राप्त करने हेतु आवश्यक अनुमोदन प्रदान करें। ताकि नये बकाया राशि का CAMPA खाता में ई- चालान प्राप्त कर सकें और आगे की कार्रवाही करके शीघ्र भुगतान किया जा सके।

धन्यवाद,

उप मण्डल अभियंता
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन प. परियोजना
रायपुर

प्रतिलिपिः- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी कोंडागांव वनमण्डल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मण्डल अभियंता कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन प. परियोजना रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबंधक कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।